



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग से छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 4,000/- रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मुस्करा में पंजीकृत मु0अ0सं0-249/2020 धारा-354 भा0द0सं0 व 8 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय गैंगस्टर एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त लीला राजपूत पुत्र मन्नू लोधी निवासी ग्राम गहरौली, थाना मुस्करा, जनपद हमीरपुर को धारा-354 भा0द0सं0 व 8 पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 4,000/- रुपए के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



एडीजीसी
अवधनरेश चन्देल



विवेचक-
उ0नि0 इन्द्रपाल
सिंह



पैरोकार
थाना- मुस्करा
का0 श्यामनारायण